ग्राम पंचायत पूलन, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच सी(5)-सी(15)एल ए डी/2006-12669 दिनाँक -07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पूलन, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

ग्राम पंचायत पूलन, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०) से सम्बन्धित गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/414 दिनाँक 15-01-2024 एवं पुन: अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/416 दिनाँक 18-01-2024 के द्वारा पंचायत सचिव को अवगत करवाया गया, जिसका कोई प्रत्युत्तर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार से गत अंकेक्षण प्रतिवेदन का उपलब्ध न होना एक अत्यन्त गंभीर मामला है एवं गत अंकेक्षण के पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन को उचित स्रोत से प्राप्त करने उपरान्त इसमें शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये। पंचायत के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन को मुख्यालय से प्राप्त करने व वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति उपरान्त
2.	4, 4.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	4.2	अनिर्णीत	
4.	4.3	अनिर्णीत	
5.	5	अनिर्णीत	
6.	6	अनिर्णीत	
7.	7 (क एवं ख)	अनिर्णीत	
8.	8	अनिर्णीत	
9.	9	अनिर्णीत	
10	10	अनिर्णीत	
11	11	अनिर्णीत	
12	12	अनिर्णीत	
13	13	अनिर्णीत	
14	14	अनिर्णीत	
15	15	अनिर्णीत	
16	16	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
17	17	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित

(ग) अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक के दौरान ग्राम पंचायत पूलन में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव,ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक कार्यरत रहे हैं।

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती अनीता कुमारी	01-04-2021 से 31.03.2023

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती नीना कुमारी	01.04.2021 से 24.08.2022
2.	श्री कमल सिंह	25.08.2022 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सेवक

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री दीपक कुमार	01-04-2021 से 31-03-2023

तकनिकी सहायक

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जय प्रकाश	01-04-2021 से 31-03-2023

(घ) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत पूलन, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.3	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	2.47
2.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	61.71
3.	7.1	पंचायत राजस्व, (गृहकर) की बकाया वसूली न करने बारे।	0.98
4.	7.2	विवाह पंजीकरण के बिलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण वित्तीय हानि	0.04
5.	8.2	निर्माण /विकास कार्यों पर निर्माण सामग्री का दुरपयोग करने बारे	0.34
6.	8.3	रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी	1.16

		राजस्व की सम्भावित हानि।	
7.	8.4	GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	1.04
8.	9.1	मस्ट्रोलों के व्यय/भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे	1.45
9.	9.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय।	2.55
10.	9.3	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	1.21
11.	9.4 (i & ii)	14वां वित्त आयोग से अनुचित भुगतान करने बारे	0.60
12.	10.3	प्रियासॉफ्ट व मैनुअल संधारित लेखों में भारी अन्तर	7.02

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत पूलन, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-21 से 31-03-23 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 09-01-2024 से 22-01-2024 तक ग्राम पंचायत पूलन के कार्यालय में किया गया। वर्तमान लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-2022	01/2022	07/2021
2.	2022-2023	04/2022	05/2022

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व

उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत पूलन, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-21 से 31-03-23 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹6400/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/ 428 दिनाँक :-22.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत पूलन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (क) स्वः-स्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत पूलन के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक स्वः-स्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:-

(i) स्वः-स्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2021-22	458338	78376	536714	35820	500894
2022-23	500894	108087	608981	60800	548181

(ii) अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2021-22	4019783.25	12672838.9	16692622.15	10034086.9	6658535.25
2022-23	6658535.25	9983713	16642248.25	10471046	6171202.25

कुल योग (i + ii) = ₹548181+ ₹6658535.25= ₹ 6719383.25

(ख) ग्राम पचांयत पूलन, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनाँक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	शाखा	अनुदान का नाम	राशि (₹)
1	50100359249059	HDFC BHARMOUR	15th FC	4132145
2	17810103210	HP STATE CO-OP BANK BHARMOUR	13th FC /SF/SFC/NBA/NRNM/VMJSY/NUCLOUS	1997318
3	50100065724452	HDFC BHARMOUR	14th FC	280579
4	50100009458987	HDFC BHARMOUR	TSC	59718
5	50100290187610	HDFC BHARMOUR	IWMP	0
6	50100065724570	HDFC BHARMOUR	BIO DIVERSITY	2106
			Total	**6471866**

अन्तर (क-ख) ₹6719383.25 - ₹6471866 = ₹247517.25

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनाँक 31-03-2023 को राशि ₹**247517.25** का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था तथा इसके अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित IWMP मद के अंतर्गत SBI खाता संख्या 32635788989 के राशि ₹19675.25 की राशि दर्शाई गई थी जिसकी न तो बैंक पास बुक और न ही रोकड़ बही अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

4.3 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹2.47 लाख का अन्तर पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत पूलन द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनाँक 31-03-2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹247517.25 का अन्तर है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24-416 दिनाँक 18.01.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा वस्तु स्थिति से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकंर्म, कराधान व भत्ते नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व:-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

अत: भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹61.71 लाख का अवरोधन।

पंचायत द्वारा "**परिशिष्ट -3**" पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹**6171202.25** की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24-419 दिनाँक 18.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत पूलन के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.98 लाख की वसूली न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था । जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी । इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित **₹98695**/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

क्र० स०	**वितीय वर्ष**	**अथशेष (₹)**	**पंजीकृत परिवारों की संख्या**	**दर प्रति /परिवार (₹)**	**वर्ष के दौरान माँग (₹)**	**कुल योग**	**वर्ष के दौरान वसूली (₹)**	**वसूली हेतु शेष बकाया राशि (₹)**
1	2021-22	82195	664	25	16600	98795	16950	81845
2	2022-23	81845	674	25	16850	98695	0	98695

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 416 दिनाँक 18-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है । अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण के बिलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹0.04 लाख की वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनाँक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनाँक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरांत ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं

वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट -5** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2021-22 के विवाह पंजीकरण रजिस्टर के पंजीकरण संख्या 1 से 15 तथा वर्ष 2022-23 विवाह पंजीकरण रजिस्टर के पंजीकरण संख्या 1-15 तक विवाह पंजीकरण शुल्क की व बिलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण सरकार को राशि ₹4475/- की वितीय हानि हुई तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है अपितु इसे बैंक के निधि खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-417 दिनाँक 18-01-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जाएगी ।" अतः उपरोक्त राशि को सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.3 पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर की कम्पनी से वार्षिक शुल्क ₹0.28 लाख की बकाया वसूली न करना :-

प्रधान सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.) 96 दिनाँक 21 जून 2017 के पैरा 3.4 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टावर की स्थापना पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को ₹4000 से बढ़ाकर ₹10000 स्थापना शुल्क एवम प्रतिवर्ष ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। पैरा 3.4 (ii)के अनुसार हर 5 साल के पूरा होने पर नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढोत्तरी की जाएगी। पैरा 3.4 (iv) के अनुसार कोई भी मोबाइल टावर कम्पनी यदि अतिरिक्त अन्टेना किसी स्थापित टावर पर लगाएगी तो उसे वार्षिक शुल्क का 60% नवीनीकरण देना होगा।

इसके अतिरिक्त पैरा 3.4 (vi) के अनुसार यदि कोई मोबाइल टावर कम्पनी नोटिस की तिथि से 30 दिन के अंदर शुल्क नही चुकाती है तो उसे प्रति सप्ताह 5% दंड शुल्क भी चुकाना होगा परन्तु यदि लम्बित राशि नोटिस की तिथि से दो माह तक भी नही चुकाई जाती है तो ग्राम पंचायत सम्बन्धित कम्पनी की अनुमति रद करने बारे नोटिस जारी कर सकती है।

ग्राम पंचायत पूलन विकास खंड भरमौर जिला चम्बा के अभिलेखों की जांच एवम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी जानकारी के अनुसार तथा वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ग्राम पंचायत द्वारा बकाया स्थापना शुल्क तथा वार्षिक शुल्क अभी तक नही वसूला गया है जिसका विवरण निम्न दिया गया है -:

कम्पनी नाम	**अवधि**	**स्थापना वर्ष**	**आरम्भिक शेष (₹)**	**स्थापना फीस (₹)**	**नवीनीकरण शुल्क (₹)**	**कुल मांग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**अंतिम शेष (₹)**
एयरटेल	2019-20	2006	18250.00	0	5000.00	23250.00	0	23250.00
	2020-21		23250.00	0	5000.00	28250.00	0	28250.00

अत: उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि तक उपरोक्त कम्पनी से नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹28250 प्राप्त करना शेष था। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार वार्षिक शुल्क लेने के लिए मोबाइल कम्पनी को लिखित मांग पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी करना चाहिए था परन्तु अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मोबाइल कम्पनी को शुल्क लेने के लिए कोई मांग पत्र / नोटिस जारी नही किया गया था, जोकि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा मांग व संग्रहण रजिस्टर का संधारण नही किया गया था। अत: मोबाइल टावर फीस नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है की पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवम कर उगाही के प्रति गम्भीर नही थी जो कि उपरोक्त नियमो की अवहेलना है।

अतः मोबाइल टावर कम्पनी से उक्त शुल्क वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा की गई कार्यवाई से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाएगा।

8.1 निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान तकनीकी सहायक वह कनिष्ट अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 422 दिनाँक 18-01-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगें। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 निर्माण /विकास कार्यों पर राशि ₹0.34 लाख का निर्माण सामग्री का दुरूपयोग करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 101 से 107 में निर्माण कार्य के निष्पादन से सम्बन्धित नियम प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य (Construction Work of Second Floor Panchayat Community Centre) हेतु वॉउचर संख्या 07 दिनाँक 18.06.22 अनुसार 9292 Nos इंटें क्रय की गई थी जबकि माप पुस्तिकाओं की जांच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 29867 पृष्ट संख्या 13 पर दर्ज कुल 5466 इंटें उपयोग में लाई गई थी इस प्रकार 3826 Nos इंटें जोकि @ 8.96 प्रति ईंट 3826 x 8.96 = 34280/- की क्रय की गई थी न तो उपयोग में लाई गई और न ही स्टॉक में भी शेष के रूप में नही पाई गई थी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24/425 दिनाँक 19.01.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि "उक्त अनुचित भुगतान की वसूली कर ली जाएगी।"

अतः उक्त अनुचित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उचित स्रोत से वसूली उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जा सुनिश्चित किया जाए।

8.3 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को ₹1.16 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि ।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली, 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामाग्री के लिए ठेकेदार/आपूतिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म,XY-फॉर्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत पूलन, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही थी। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अन्नापति प्रमाण पत्र/ XY-फॉर्म /M-फॉर्म लिया गया था और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई थी फलस्वरूप सरकार को कुल ₹116674/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट " 4 "** में दिया गया है।) की संभावित वित्तीय हानि हुई है।

इस गंभीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/421 दिनाँक 18.01.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि "उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करके उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में M-फार्म/X-फार्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समय पर सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।"

अत: पंचायत द्वारा रॉयल्टी न काटा जाना न केवल सरकारी आदेशों की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी वित्तीय हानि है।

अत: भविष्य में अनापत्ति प्रमाण पत्र/XY-फॉर्म/M-फ़ार्म न होने की दशा में रॉयल्टी की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं वर्तमान

में रायल्टी न काटे जाने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की रॉयल्टी की वसूली उचित स्त्रोत से करके शीघ्रअतिशीघ्र सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.4 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹1.04 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने पर वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹ **2192956**/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है। तथा इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बंधित चालान अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹104426/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गंभीर अनियमितिता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/422 दिनाँक 18-01-2024 के प्रत्त्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर

देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया । यह गंभीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजानिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके ।

8.5 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करने बारे।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी । इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है ।

ग्राम पंचायत पूलन के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था । जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा था जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है । जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9.1 ₹1.45 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अत्तिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी ।

ग्राम पंचायत पूलन के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे । जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों

समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

मस्टरोल संख्या	रोकड़ बही पृष्ट संख्या /दिनाँक	राशि	विवरण	मद	कार्य का नाम
Muster Roll No	CB Page No /Date	Amount	Discription Of Item	Head	Name of Work
11044	112/22.10.21	43626.00	LABOUR PAYMENT	NDRF	C/O MAINTANCE OF PATH MAIN ROAD TO BARGAH
11056	26/09.05.22	48020.00	LABOUR PAYMENT	IWMP	C/O PLANTATION WORK NEAR CHAMUNDA MANDIR THATHAN
11098	11/20.5.22	53640.00	LABOUR PAYMENT	15th fc	C/O PUCCA PATH & GRILL BARGA
	Total	145286			

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 423 दिनाँक 19.01.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत पूलन के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹2.55 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4),67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,(Tenders) कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है। तथा इसके अतिरिक्त

पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत पूलन द्वारा राशि **₹255034**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गंभीर अनियमितता है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनाँक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	2/2021-22/05.04.21	SF	Dilwar Ram Vill Poolan Tehsil Bharmour	Refreshment	6300
2	02/22-23 /09.05.22	SF	Manimahesh Printer Bharmour	Stationary	4210
3	03/22-23 /09.05.22	SF	Manimahesh Printer Bharmour	Stationary	9220
4	07/18.06.22	13th FC	Vishal Enterprises Karian Chamba	Bricks	44217
5	07/18.06.22	13th FC	Vishal Enterprises Karian Chamba	Bricks	43203
6	01/09.5.22	IWMP	Dheeraj Medicinal Arometic & Flower Nursery Vill Supa	Plants	17200
7	1-3/24.04.22	14th FC	Satpal General Store Main Bazar Bharmour	Electrical Item	114000
8	02/06.05.22	15th FC	Vishal Enterprises Karian Chamba	Steel/Wire	16684
				Total	**255034**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 420 दिनाँक 18-01-2024 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत पूलन के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "भविष्य में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जायेगा।" प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितिता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्रोत से वसूल कर सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹1.21 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,परिदान के समय, उसका यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹121450.00 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनाँक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	23/05.03.22	SF	Manimahesh printer bharmour	Stationary	3400
2	02/22-23 /09.05.22	SF	Manimahesh printer bharmour	Stationary	4210
3	03/22-23 /09.05.22	SF	Manimahesh printer bharmour	Stationary	9220

4	07/18.06.22	13th FC	Vishal enterprises karian chamba	Bricks	44217
5	07/18.06.22	13th FC	Vishal enterprises karian chamba	Bricks	43203
6	01/09.5.22	Iwmp	Dheeraj medicinal arometic & flower nursery vill supa	Plants	17200
				Total	121450

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/424 दिनाँक 19-01-2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नही दोहराया जायेगा।

अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 (i) 14वां वित्त आयोग से राशि ₹0.13 लाख का अनुचित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 46 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा किये जाने वाले खर्चों को मितव्ययिता के साथ किये जाने के नियम प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा 14th FC से निम्न विवरण अनुसार प्रिंटर हेतु कारटेजें (Cartridges) क्रय की गई थी किन्तु उक्त प्रिंटर व कारटेजें पंचायत के स्टॉक रजिस्टर में नही पाए गये जिस कारण यह पता लगाया मुश्किल था कि किया गया व्यय वास्तविक था अथवा नहीं जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है तथा किया गया व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनाँक	निधि का नाम	विवरण	बिल संख्या	दिनाँक	सामग्री का विवरण	राशि (₹)
1	26/16.08.21	14th FC	E-Point cyber & computer shop	75	23.07.21	Samsung 1043 Cartage Rs 5700, HP 88 A Original Cartage Rs.7300.00	13000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/426 दिनाँक 19-1-2024 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्तुयुत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नही दोहराया जायेगा तथा उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः उक्त किये गये भुगतान की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए ।

ii) 14वां वित्त आयोग से राशि ₹0.47 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 46 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा किये जाने वाले खर्चों को मितव्ययिता के साथ किये जाने के नियम प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा 14th FC से निम्न विवरण अनुसार ऑनलाइन रोकड़ बही संधारित करने हेतु व्यय किया गया था तथा जिसे पंचायत को अपने स्तर पर पंचायत कार्यालय में सचिव द्वारा ऑनलाइन किया जाना था अतः किया गया व्यय / भुगतान अनुचित व अनियमित प्रतीत होता है। जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनाँक	निधि का नाम	विवरण	बिल संख्या	दिनाँक	सामग्री का विवरण	राशि (₹)
1	06/26.04.21	14th FC	Nand lal computer software po sultanpur	61	05.04.21	Paid for online cashbook	16100

2	07/03.06.21	14^{th} FC	Nand lal computer software po sultanpur	66	1.06.21	Paid for online cashbook	9000
3	13&14/14.06.22	14^{th} FC	ICT Solution chamba	47,52	25.05.22 &28.05.22	Paid for online cashbook	22000
						Total	47100

अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/427 दिनाँक 19-1-2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्त्युयुत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नही दोहराया जायेगा तथा उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः उक्त किये गये भुगतान की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए ।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है ओर न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वित्तीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत

द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-396 दिनाँक 04-01-2023 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत

अभिलेख में रख लिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला , DPO 5th स्टेट व SFC का पंचायत द्वारा स्व:-स्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 396 दिनाँक 04-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत पूलन द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व: स्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा।

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹7.02 लाख के अन्तर बारे।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में e-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, हि०प्र० कर रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत e-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वह मैन्युअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनाँक 31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि ₹702603.00 का अन्तर पाया गया :-

31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़बही) में अन्तशेष

31-03-2023 को PRIYASOFT में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	₹6016780.00
31-03-2023 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	₹6719383..00
अन्तर	₹702603.00

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि, पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/415 दिनाँक 18.01.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है ।

अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30

3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103
7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
8 .	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-415, दिनाँक 18.01.2023 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पूलन की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

(कृष्ण लाल नेगी) 01.04.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

02 APR 2024

1788 - 1792

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 70/2021 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (घ) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत
5. सचिव, ग्राम पंचायत पूलन, विकास खण्ड भरमौर जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 APR 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 01.04.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

परिशिष्ट - 1 पैरा 4.1 (i) ~~के~~ ~~संख्या~~ के संदर्भ में

Financial Position of Own Sources in r/o GP	" POOLAN "		Dev. Block Bharmour	Distt Chamba H.P	
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	**458338**	**78376**	**536714**	**35820**	**500894**
2022-23	**500894**	**108087**	**608981**	**60800**	**548181**

सचिव
ग्राम पंचायत पूलन
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा

परिशिष्ट–2 पैरा संख्या 4.1(ii) के संदर्भ में

Financial Position of Grant in Aid in r/o GP POOLAN D.B Bharmour Tehsil Bharmour Distt Chamba H.P					
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	4019783.25	12672838.9	16692622.15	10034086.9	6658535.25
2022-23	6658535.25	9983713	16642248.25	10471046	6171202.25

सचिव
ग्राम पंचायत पूलन
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट - 3 पैरा संख्या 4.3 व 6 के संदर्भ में

Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" POOLAN "	Dev. Block Bharmour	Distt Chamba HP-176315	Year Ended	2021-22
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5TH SFC	40025	389025	429050	174484	254566
2	13 TH FC	0	1000000	1000000	0	1000000
3	14TH	1753564	55760	1809324	740532	1068792
4	15TH FC	1307811	2345947	3653758	15000	3638758
5	NDRF	0	294000	294000	293140	860
6	IWMP	324635	875017	1199652	1094548	105104
7	IAY	17500	0	17500	0	17500
8	RAY	5000	0	5000	5000	0
9	PANCHAYAT GHAR	202472	0	202472	0	202472
10	MANREGA	0	7711382.9	7711382.9	7711382.9	0
11	CHMERA	216703	0	216703	0	216703
12	BIO DIVERSITY	2014	0	2014	0	2014
13	TSC	56247	1707	57954	0	57954
14	LADA	93812.25	0	93812.25	0	93812.25
	TOTAL	4019783.25	12672838.9	16692622.15	10034086.9	6658535.25

Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" POOLAN "	Dev. Block Bharmour	Distt Chamba HP-176326	Year Ended	2022-23
1	5TH SFC	254566	202000	456566	249000	207566
2	13 TH FC	1000000	0	1000000	995193	4807
3	14TH	1068792	67224	1136016	750187	385829
4	15TH FC	3638758	2047129	5685887	1543527	4142360
5	NDRF	860	0	860	0	860
6	IWMP	105104	1639	106743	106743	0
7	SBM/IHHL	0	44500	44500	17465	27035
8	IAY	17500	0	17500	0	17500
9	PANCHAYAT GHAR	202472	0	202472	49500	152972
10	MANREGA		6341688	6341688	6341688	0
11	CHMERA	216703	0	216703	0	216703
12	BIO DIVERSITY	2014	92	2106	0	2106
13	TSC	57954	1759	59713	0	59713
14	LADA	93812.25	399680	493492.25	101963	391529.25
15	Art &Culture/Youth Sports	0	338000	338000	285804	52196
16	VKVNY	0	90002	90002	29976	60026
17	Minor Head C Ds 4515	0	300000	300000	0	300000
18	Minor Head 37	0	150000	150000	0	150000
		6658535.25	9983713	16642248.25	10471046	6171202.25

	Balance as Per Bank on 31.03.23				
	A/c No	Branch	Head		
1	50100359249059,	HDFC BHARMOUR	15TH FC		4132145
2	17810103210,	HP state Co-op Bank Bharmou	13th fc /SF/SFC/NBA/NRNM/VMJSY/NUCLOUS		1997318
3	50100065724452,	HDFC BHARMOUR	14TH FC		280579
4	50100009458987,	HDFC BHARMOUR	TSC		59718
6	50100290187610,	HDFC BHARMOUR	IWMP		0
7	50100065724570,	HDFC BHARMOUR	BIO DIVERSITY		2106
		Cash In Hand			0
	Total				6471866

1	Cash Book Balance on 31.03.2023 (Own Source)			548181
2	Cash Book Balance on 31.03.2023	5TH SFC		207566
3	Cash Book Balance on 31.03.2023	13 TH FC		4807
4	Cash Book Balance on 31.03.2023	14TH		385829
5	Cash Book Balance on 31.03.2023	15TH FC		4142360
6	Cash Book Balance on 31.03.2023	NDRF		860
7	Cash Book Balance on 31.03.2023	IWMP		0
8	Cash Book Balance on 31.03.2023	SBM/IHHL		27035
9	Cash Book Balance on 31.03.2023	IAY		17500
10	Cash Book Balance on 31.03.2023	PANCHAYAT GHAR		152972
11	Cash Book Balance on 31.03.2023	MANREGA		0
12	Cash Book Balance on 31.03.2023	CHMERA		216703
13	Cash Book Balance on 31.03.2023	BIO DIVERSITY		2106
14	Cash Book Balance on 31.03.2023	TSC		59713
15	Cash Book Balance on 31.03.2023	LADA		391529.25
16	Cash Book Balance on 31.03.2023	Art &Culture/Youth Sports		52196
17	Cash Book Balance on 31.03.2023	VKVNY		60026
18	Cash Book Balance on 31.03.2023	Minor Head C Ds 4515		300000
19	Cash Book Balance on 31.03.2023	Minor Head 37		150000
			Total	6719383.25
			Diffrence	247517.25

Note :- 1.Opening Balance & Closing Balance Not Taken in General Manual Cash Book. So opening balances taken from Bank Pass book

2. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book

3.Mnrega cash book not present in audit so month wise income and expenditure taken from mnrega financial statement

सचिव
ग्राम पंचायत पूलन
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट-4 पैरा संख्या 8.3 व 8.4 के संदर्भ में

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP POOLAN D.B BHARMOUR FROM WHICH ROYALITY & GST NOT PAID/DEDUCTED AND PAYMENT MADE WITHOUT JOINT SIGN

01-04-2021 TO 31-03-2023

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/Bill DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST NOT PAID /DEDUCTED
1	BADAL PRAKASH VILL SUPPA P.O GHARER TEHSIL BHARMOUR	NDRF	9/22.10.21	STONE	16.61	37.2064	60	2232.384	14949	14237.1	711.9
2	BADAL PRAKASH VILL SUPPA P.O GHARER TEHSIL BHARMOUR	NDRF	10/22.10.21	STONE	14.79	33.1296	60	1987.776	14790	14085.7	704.3
3	BADAL PRAKASH VILL SUPPA P.O GHARER TEHSIL BHARMOUR	NDRF	11/22.10.21	STONE	27.18	60.8832	60	3652.992	27180	25885.7	1294.3
4	BADAL PRAKASH VILL SUPPA P.O GHARER TEHSIL BHARMOUR	NDRF	12/22.10.21	STONE	19.49	43.6576	60	2619.456	19490	18561.9	928.1
5	BADAL PRAKASH VILL SUPPA P.O GHARER TEHSIL BHARMOUR	NDRF	13/22.10.21	STONE	23.08	51.6992	60	3101.952	23084	21984.8	1099.2
6	M/S VIVEK CONST. WORKS VILL CHUNJRI PO SIRD	ART/CULTURE	43/21.02.23	STONE	27.6	61.824	80	4945.92	48300	46000.0	2300.0
7	M/S PYAR SINGH GOVT. CONT.PO SIRDI	IWMP	11/01.06.21	STONE	25	56	60	3360	26250	25000.0	1250.0
8	M/S PYAR SINGH GOVT. CONT.PO SIRDI	IWMP	12/01.06.21	SAND	9.35	15.147	60	908.82	36465	34728.6	1736.4
9	M/S PYAR SINGH GOVT. CONT.PO SIRDI	IWMP	12/01.06.21	AGG	10	15.2	60	912	38000	36190.5	1809.5
10	M/S PYAR SINGH GOVT. CONT.PO SIRDI	14th fc	9/09.05.22	AGG	8.8	13.376	80	1070.08	28160	26819.0	1341.0
11	M/S PYAR SINGH GOVT. CONT.PO SIRDI	14TH FC	9/09.05.22	SAND	15	24.3	60	1458	45000	42857.1	2142.9
12	BADAL PRAKASH VILL SUPPA P.O GHARER TEHSIL BHARMOUR	15th fc	8/06.05.22	stone	32.81	73.4944	80	5879.552	22967	21873.3	1093.7
13	BADAL PRAKASH VILL SUPPA P.O GHARER TEHSIL BHARMOUR	15th fc	9/06.05.22	sand	9.44	15.2928	80	1223.424	32837	31273.3	1563.7
14	BADAL PRAKASH VILL SUPPA P.O GHARER TEHSIL BHARMOUR	15th fc	10/06.05.22	agg	10	15.2	80	1216	32000	30476.2	1523.8
15	BADAL PRAKASH VILL SUPPA P.O GHARER TEHSIL BHARMOUR	15th fc	11/06.05.22	agg	6.06	9.2112	80	736.896	19392	18468.6	923.4
16	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	75/28.04.2021	SAND	15	24.3	60	1458	49500	47142.9	2357.1
17	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	76/28.04.2021	Aggrigate	11	16.72	60	1003.2	47608	45341.0	2267.0
18	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	77/28.04.2021	Aggrigate	14	21.28	60	1276.8	49336	46986.7	2349.3
19	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	72/28.04.2021	Aggrigate	13	19.76	60	1185.6	49400	47047.6	2352.4
20	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	73/28.04.2021	sand	4	6.48	60	388.8	15600	14857.1	742.9
21	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	73/28.04.2021	Aggrigate	9	13.68	60	820.8	34200	32571.4	1628.6
22	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	74/28.04.2021	SAND	6	9.72	60	583.2	23400	22285.7	1114.3
23	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	28/15.09.2021	sand	3.4	5.508	60	330.48	10200	9714.3	485.7
24	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	28/15.09.2021	Aggrigate	6.45	9.804	60	588.24	20640	19657.1	982.9

25	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	93/16.08.2021	stone	45	100.8	60	6048	45000	42857.1	2142.9
26	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	12/15.09.2021	stone	7.02	15.7248	60	943.488	7020	6685.7	334.3
27	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	83/30.06.2021	sand	7.67	12.4254	60	745.524	29913	28488.6	1424.4
28	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	83/30.06.2021	Aggrigate	15.07	22.9064	60	1374.384	57266	54539.0	2727.0
29	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	66/28.04.2021	Aggrigate	7	10.64	60	638.4	23800	22666.7	1133.3
30	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	66/28.04.2021	sand	7	11.34	60	680.4	25200	24000.0	1200.0
31	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	67/28.04.2021	Aggrigate	3.52	5.3504	60	321.024	11968	11398.1	569.9
32	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	67/28.04.2021	SAND	5.96	9.6552	60	579.312	21456	20434.3	1021.7
33	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	84/30.06.2021	Aggrigate	14	21.28	60	1276.8	47600	45333.3	2266.7
34	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	85/30.06.2021	Aggrigate	8.3	12.616	60	756.96	28200	26857.1	1342.9
35	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	86/30.06.2021	sand	16.7	27.054	60	1623.24	60120	57257.1	2862.9
36	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	87/30.06.2021	sand	27.19	44.0478	60	2642.868	27119	25827.6	1291.4
37	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	87/30.06.2021	Aggrigate	3	4.56	60	273.6	10200	9714.3	485.7
38	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	53/30.06.2021	Aggrigate	15.5	23.56	60	1413.6	49600	47238.1	2361.9
39	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	78/30.06.2021	Aggrigate	11.24	17.0848	60	1025.088	35968	34255.2	1712.8
40	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	79/30.06.2021	sand	4.69	7.5978	60	455.868	15946	15186.7	759.3
41	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	79/30.06.2021	Aggrigate	10	15.2	60	912	32000	30476.2	1523.8
42	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	80/30.06.2021	sand	14.7	23.814	60	1428.84	49980	47600.0	2380.0
43	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	82/30.06.2021	stone	9.74	21.8176	60	1309.056	6175	5881.0	294.0
44	BADAL PRAKASH GOVT CONT.PO GHARED TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	14/15.09.2021	sand	5.53	8.9586	60	537.516	17696	16853.3	842.7
45	BADAL PRAKASH GOVT CONT.PO GHARED TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	12/15.09.2021	SAND	5.6	9.072	60	544.32	24080	22933.3	1146.7
46	BADAL PRAKASH GOVT CONT.PO GHARED TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	13/15.09.2021	SAND	5.67	9.1854	60	551.124	23824	22689.5	1134.5
47	BADAL PRAKASH GOVT CONT.PO GHARED TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	15/15.09.2021	SAND	5.73	9.2826	60	556.956	24066	22920.0	1146.0
48	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	91/16.08.2021	SAND	8.03	13.0086	60	780.516	24090	22942.9	1147.1
49	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	91/16.08.2021	STONE	9	20.16	60	1209.6	9000	8571.4	428.6
50	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	92/16.08.2021	Aggrigate	15.22	23.1344	60	1388.064	48704	46384.8	2319.2

51	BADAL PRAKASH GOVT CONT.PO GHARED TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	16/15.09.2021	SAND	2.65	4.293	60	257.58	11395	10852.4	542.6
52	PUNNU RAM GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	14/15.06.2021	sand	1.58	2.5596	60	153.576	7810	7438.1	371.9
53	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	47/2.5.2022	sand	7.452	12.07224	80	965.7792	22356	21291.4	1064.6
54	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	48/2.5.2022	aggrigate	8	12.16	80	972.8	24000	22857.1	1142.9
55	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	50/2.5.2022	stone	25	56	80	4480	21250	20238.1	1011.9
56	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	52/2.5.2022	aggrigate	6.11	9.2872	80	742.976	18330	17457.1	872.9
57	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	64/30.8.2022	sand	13.548	20.59296	80	1647.4368	40644	38708.6	1935.4
58	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	65/30.8.2022	aggrigate	13.024	21.09888	80	1687.9104	39072	37211.4	1860.6
59	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	66/30.8.2022	aggrigate	13.024	19.79648	80	1583.7184	39072	37211.4	1860.6
60	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	67/30.8.2022	stone	30.1106	67.447744	80	5395.81952	25599	24380.0	1219.0
61	BADAL PRAKASH GOVT CONT.PO GHARED TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	37/2.52022	sand	0.77	1.2474	80	99.792	2464	2346.7	117.3
62	BADAL PRAKASH GOVT CONT.PO R TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	38/2.5.2022	aggrigate	1.55	2.356	80	188.48	5580	5314.3	265.7
63	BADAL PRAKASH GOVT CONT.PO TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	56/25.4.2022	stone	38	85.12	80	6809.6	64600	61523.8	3076.2
64	BADAL PRAKASH GOVT CONT.PO TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	34/2.5.2022	aggrigate	11	16.72	80	1337.6	39600	37714.3	1885.7
65	BADAL PRAKASH GOVT CONT.PO TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	35/2.5.2022	sand	9	14.58	80	1166.4	28800	27428.6	1371.4
66	BADAL PRAKASH GOVT CONT.PO TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	39/2.5.2022	aggrigate	8	12.16	80	972.8	23200	22095.2	1104.8
67	BADAL PRAKASH GOVT CONT.PO TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	40/2.5.2022	sand	8	12.96	80	1036.8	25600	24381.0	1219.0
68	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	88/28.4.2021	aggrigate	8.5	12.92	60	775.2	29968	28541.0	1427.0
69	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	89/28.4.2021	stone	29	64.96	60	3897.6	49300	46952.4	2347.6
70	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	90/28.4.2021	stone	12.963	29.03712	60	1742.2272	22037	20987.6	1049.4
71	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	33/30.11.2021	aggrigate	10	15.2	60	912	38000	36190.5	1809.5
72	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	34/30.112021	aggrigate	10	15.2	60	912	38000	36190.5	1809.5
73	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	34/30.112021	sand	12	19.44	60	1166.4	46800	44571.4	2228.6
74	PYAR SINGH GOVT CONT.PO SIRD TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	32/30.11.2021	stone	32.7	73.248	60	4394.88	32700	31142.9	1557.1
75	BADAL PRAKASH GOVT CONT.PO TEHSIL BHARMOUR	MNREGA	22/30.9.2021	sand	4.3	6.966	60	417.96	12040	11466.7	573.3
	Total							116674.2555	2192956	2088529.5	104426.5

21,92,956

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal

   Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining

   Conversion Factor

2 **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**

35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter ($M^{3)}$	Common to all items Sand, Stone & Aggregate

3 **B. From Cubic Meter ($M^{3)}$ to Tonne**

One Cubic Meter ($M^{3)}$ Sand	1.62
One Cubic Meter ($M^{3)}$ Aggregate	1.52
One Cubic Meter ($M^{3)}$ Stone	2.24

4 All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.

5 As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

कार्यालय ग्राम पंचायत पूलन विकास खण्ड भरमौर जिला चम्बा

बर्ष 2021-22

क्र.स.	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	बसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	बसूली हेतु शेष राशी
1	1	सोनू कुमार S/O धारो राम	28-04-2021	01-06-2021	400	400	400
2	2	ठाकर सिंह S/O बैही	15-05-2021	30--05-2021	200	200	200
3	3	लाचो राम S/O महाशा	06-06-2021	06-07-2021	400	400	400
4	4	अजय कुमार S/O मदन लाल	25-06-2021	23-07-2021	200	200	200
5	5	विजय कुमार S/O बलदेव	28-06-2021	23-07-2021	200	200	200
6	6	लवकुश S/O कीमत राम	20-06-2021	23-07-2021	50	50	50
7	7	पवन कुमार S/Oपाछो	27-07-2021	15-+08-2021	200	200	200
8	8	राज कुमार S/O हरी सिंह	14-058-2021	27-08-2021	25	25	25
9	9	राकेश कुमार S/O परसो	05-08-2021	22-08-2021	25	25	25
10	10	आशीष कुमार S/O बिट्टू राम	07-10-2021	15-11*-2021	50	50	50
11	11	बिट्टू राम S/O गिल्लू राम	24-10-2021	18-11-2021	25	25	25
12	12	राजिंदर कुमार S/O भागी राम	12-08-2021	18-11-2021	200	200	200
13	13	राम प्रकाश S/O करनैल	30-12-2021	30-12-2021	200	200	200
14	14	सुरेंदर कुमार S/O करम चन्द	12-12-2021	30-12-2021	200	200	200
15	15	बंटू राम S/O जय करन	08-10-2021	30-12-2021	50	50	50
							2425

बर्ष 2022-23

क्र.स.	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	बसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	बसूली हेतु शेष राशी
1	1	गणेश कुमार S/O बन्त	20-02-20222	28-02-20222	25	25	25
2	2	सुरिंदर कुमार S/O रत्नू	13-12-2021	18-03-2022	50	50	50
3	3	अंकुश कुमार S/O धीरज	18-02-2022	18-03-2022	400	400	400
4	4	संजीव कुमार S/O थुनिया	01-04-2022	13-04-2022	200	200	200
5	5	अभिषेक कुमार S/O चनालू	13-04-2022	30-04-2022	200	200	200
6	6	शिव कुमार S/O दुर्गा	13-07-2022	12-08-2022	200	200	200
7	7	मीतिन कुमार S/O सराडू राम	12-08-2022	12-08-2022	25	25	25.
8	8	रमेश कुमार S/O चुनी लाल	31-07-2022	13-08-2022	25	25	25.
9	9	शाम कुमार S/O लखा	04-08-2022	06-10-2022	50	50	50
10	10	नसीब कुमार S/O केसर	27-069-2022	11-10-2022	200	200	200
11	11	अनिल कुमार S/O रतनो	29-09-2022	01-10-2022	25	25	25
12	12	गजेंदर कुमार S/O प्यार चन्द	04-12-2022	16-12-2022	25	25	25
13	13	मुकुल भंडारी S/O संदीप भंडारी	29-09-2022	16-12-2022	400	400	400
14	14	रोहित कुमार S/O भागी राम	04-12-2022	16-12-2022	200	200	200
15	15	प्रवीण कुमार S/O चुहडू	07-12-2022	16-12-2022	25	25	25

2050

सचिव
ग्राम पंचायत पूलन
विकास खण्ड भरमौर
जिला चम्बा (हि.प्र.)